न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर ।

अपील संख्या-78/2016

बीरबल पुत्र भगवाना जाति सैनी निवासी ढाणी ठाकर वाली सैनी नगर तन नवलडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- कजोडमल पुत्र पुरणाराम
2- बनवारीलाल पुत्र कजोडमल
3- रामावतार पुत्र कजोडमल
4- राजेशकुमार पुत्र कजोडमल

जाति सैनी निवासी ठाकरवाली ढाणी सैनी नगर तन नवलडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

---रेस्पोडेन्टस---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 27-6-2016 तारा उप खण्ड अधिकारी नवलगढ ।

---0---

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति-

1- श्री रणजीतसिंह एडवोकेट- अपीलान्ट
2- श्री अमितकुमार शर्मा एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 25.7.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक/अपीलान्ट ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम नवलडी में स्थित आराजी ख0नं0 110, 111, 112, 106 रकबा क्रमशः 0.03, 1.35, 0.05, 0.02 हैक्टर कुल किता-4 रकबा 1.45 हैक्टर जिसके गत खसरा नम्बर 678/12 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा ख0नं0 678/13 रकबा 1. बीघा 8 बिस्वा कुल रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा की मौरूसी मौतेदारी मन्दिर मूर्ति श्री महादासजी वाके ग्राम नवलडी के नाम दर्ज है ।जिस पर आवेदक के पिता काबिज है तथा मकान बनाकर आबाद है

तथा आवारा पशुओं की रक्षार्थ ऐंग्लों के मय तारबन्दी कर रखी है तथा इस आराजी में एक चाह है जो आवेदक के दादा के नाम से इस चाह पर विघुत सम्बन्ध है । जिससे अपने कब्जे काश्त की आराजी की सिंचाई करता है । आवेदक विकलांग व्यक्ति है ।अनावेदक धनबल व लाठी की ताकत से आवेदक के कब्जा काश्त की आराजी पर दिनांक 25-5-2015 को एक राय होकर आये तथा तारबन्दी को तोडने की कोशीश की परन्तु ढाणी के अन्य लोगों के आने से आवेदक को बेदखल करने में सफल नही हुये । तथा अपने धनबल के तहत पुलिस मे भी आवेदक के खिलाफ झुठे मुकदमें बनाकर राजीनामा हेतु दबाव डलवाते हैं ।आवेदक को अनावदेकगण ताकत के बल पर बेदखल कर देते हैं तो आवेदक को काफी हकतलफी होगी । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अनावेदकगण को पाबन्द किया जावे कि वह उक्त आराजी में आवेदक क कब्जे काश्त, लाट बाट उपयोग उपभोग में न तो स्वयं बाधा डाले न ही अपने नातेदार रिश्तेदार, नौकर चाकर से ऐसा करवाये, ना आवेदक को बेदखल करें, शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें । अदालत मातहत ने आवेदक का प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है ।अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस दिनांक 4-5-2016 को सुनकर वास्ते आदेश दिनांक 12-5-2016 नियत कर दी। दिनांक 12-5-2016 को ना तो निर्णय सुनाया गया और ना ही प्रकरण में तारीख पेशी दी गई ।अब विपक्षीगण गांव में ऐलानिया धमकी देने लगे कि हमने निर्णय करवा लिया है । तब अपीलान्ट अपने वकील से मिला तब पता चला कि प्रकरण का निर्णय दिनांक 27-6-2016 को कर दिया गया। तब नकल का प्रार्थना पत्र पेश कर नकल ली ।दिनांक 4-5-2016 को प्रकरण में बहस सुन ली गई तो न्यायालय को सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार एक माह में निर्णय किया जाना चाहिये था, किन्तु अदालत मातहत ने इस ओर कोई गौर न कर [illegible]

के विपरित है ।अदालत मातहत ने पत्रावली में पेश दस्तावेज पर कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है ।अपीलान्ट विवादित आराजी पर काबिज काश्तकार है जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति अपीलान्ट के पक्ष में है। इन बिन्दूओं पर भी कोई गौर ना कर अपना निर्णय दिया है ।अदालत मातहत ने निर्णय के समय इस बिन्दू पर कोई गोर नहीं किया कि रेस्पोडेन्ट का इस आराजी पर हक कैसे है ।उक्त आराजी गोविन्दराम की खातेदारी की जमीन थी जिसको जरिये विक्रय पत्र अपीलान्ट ने क्रय की है ।रेस्पोडेन्ट का इस आराजी पर हक हिस्सा कैसे है अपने जबाब में स्पष्ट नहीं किया है ।अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर भी कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई ।बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस पेश करते हुये कथन किया कि अदालत मातहत ने दिनांक 4-6-2015 को एक तरफ अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की थी कि जमीन जैर बहस के बाबत रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 5 को पाबन्द किया गया था कि जमीन जैर बहस को खुर्द बुर्द नहीं करें, मौके की यथास्थिति बनाये रखें ।अदालत मातहत ने अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की अन्तिम रूप से बहस दिनांक 4-5-2016 को सुनी एवं पत्रावली को आदेश हेतु दिनांक 12-5-2016 नियत की गई इस दिनांक को ना तो आदेश पारित किया और ना ही प्रकरण में कोई आगे की तारीख बताई गई ।पता करने पर मालूम चला की प्रकरण का निर्णय दिनांक 27-6-2016 को कर दिया गया ।जबकि आदेश-21 नियम-1सीपीसी के अनुसार बहस सुनने के एक माह में निर्णय सुनाया

जाना चाहिये किन्तु अदालत मातहत ने ना तो एक माह के अन्दर निर्णय सुनाया और ना ही कोई कारण दर्ज किया ।जबकि निर्णय बहस सुनने के बाद एक महिन के अन्दर निर्णय किया जाना चाहिये जैसा आरआरडी 1981 पेज-52 में स्पष्ट किया है ।विवादित आराजी ख0नं0 678/12 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नवलगढ के आदेश दावा सं0-46/71 के अनुसार गोविन्दा पुत्र भेभाराम के नाम से आई इस बाबत नामान्तरकरण सं0-404 गिरदावर जांच के आधार पर उपखण्ड न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के आधार पर तस्दीक किया गया । जिसकी प्रति अदालत मातहत की पत्रावली में शामिल है जो की गोविन्दा पुत्र भोमा की खातेदारी में दर्ज है। ख0नं0 678/12 रकबा । बीघा 8 बिस्वा भगवाना पुत्र महाबक्स की खातेदारी में पहले से ही चल रही है अपीलान्ट उक्त भगवाना का पुत्र है।इस बाबत सैटलमेन्ट का पर्चा की फोटो कापी संलग्न है। ख0नं0 678/12 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा में से खातेदार गोविन्दराम ने बहस बीरबल अपीलान्ट को बयनामा करवा दिया दिनांक 5-11-74को उप पंजीयक उदयपुरवाटी के यहां करवा दिया बयनामा की सत्यप्रतिलिपि की फोटो प्रति संलग्न है ।उक्त दोनों आराजीयात को दौरान सैटलमेन्ट माफी मन्दिर में दर्ज कर दी जिसे दुरूस्ती कराने का दावा सक्षम न्यायालय में चल रहा है । गोविन्दा ने जमीन की अदला बदली कर ख0नं0 678/12 की जमीन अपीलान्ट व अपीलान्ट के पिता के हक में लिखावट लिखदी जो शामिल पत्रावली है। विवादित आराजी में एक कूप बना हुआ है जिसमें विधुत कनेक्शन खुबाराम व भगवाना का शामलाती था ।उक्त खुबाराम ने कूप के बाबत लिखावट लिखकर दे दी । लिखावट पत्रावली पर मौजूद है । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट महाबक्सा के वारिस है ।उक्त आराजी पहले रेस्पोन्ट कजोडमल व नाथा पिसरान सुरजा के नाम से चली आ रही थी परन्तु एस0डी0ओ0 नवलगढ के निर्णय व डिक्री मु0सं0 46/71 दिनांक 20-11-71 के द्वारा गोविन्दा पुत्र भेभा की खाते-

भगवाना के नाम दर्ज है ।भगवाना के बाद अपीलान्ट के नाम दर्ज है। सैटलमेंट ने गलती से अपीलान्ट की आराजी को मन्दिर के नाम दर्ज कर दिया । जिस के लिये दावा विचाराधीन है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अदालत मातह -त का निर्णय निरस्त कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में अदालत मातहत के निर्णय को उचित ठहराते हुये कथन किया अपीलान्ट विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार नहीं है । विवादित आराजी शाश्वत नाबालिग मूर्ति मन्दिर श्री महादासजी के नाम दर्ज है ।मूर्ति मन्दिर की आराजी पर अपीलान्ट किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता । अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस पेश की है वह अपील मीमो से हटकर पेश की है। जब अपील ए में अपीलान्ट ने कोई तथ्य उठाये ही नहीं तो अब लिखित बहस के मार्फत कोई नये तथ्य पेश नहीं कर सकता और ना ही न्यायालय उन पर ए किसी प्रकार से मनन करें।ख0नं0 678/12 की खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया तब से लेकर आज तक हमारे कब्जा काश्त एवं खातेदारी में रही है ।इस आराजी के बाबत प्रार्थना पत्र ही पेश करने का अधिकार प्रार्थी अपीलान्ट को नहीं है ।अपीलान्ट ने ख0नं0 110, 111, 112 व 106 के बाबत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। यह आराजी मूर्ति मन्दिर श्री महादासजी की खातेदारी में दर्ज है ।जो शाश्वत नाबालिग है ।जिसके समर्थन में आरआरडी 14-5-2017 पेज 286 पेश की जिसमें रेकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती ।साथ ही आरआरडी 14-8-2011 पेज 563 पेश करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलान्ट को अपना प्रथम दृष्टया मामला साबित करना होगा यहा पर अपीलान्ट के नाम न तो खातेदारी है और ना ही कब्जा है। इस कारण अपीलान्ट का किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला नहीं है । अदालत मातहत ने अपना निर्णय सही पारित किया है । अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई ।पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर पुराने खसरा जिनसे बने है:-

तस्दीक वर्ष 1985	सम्वत 2045-2048	हाल ख0नं0	रकबा
678/11,13	1548	110	0.03
678/12 मी0	1550	112	0.05
919	1544	106	0.02
678/13	1549	111	1.35

नामान्तरकरण सं0-404 में उप खण्ड अधिकारी नवलगढ के मु0नं0 46/1971 निर्णय दिनांक 20-12-72 से ख0नं0 678/12 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी गोविन्दा के नाम दर्ज की गई है ।जमाबन्दी सं0-2031 से 2034 में ख0नं0 678/12 की खातेदारी भागीरथ पुत्र गोविन्द के नाम दर्ज है ।गत ख0नं0 1550 जमाबन्दी सं0- 2043 आधार वर्ष में मूर्ति मन्दिर के नाम दर्ज है ।जमाबन्दी सं0-2067 से 2070 में ख0नं0 110, 111, 112 व 106 की खातेदारी मन्दिर श्री महादास की खातेदारी में दर्ज है । ख0नं0 678/12 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा के बाबत रेस्पोन्डेन्ट संख्या-2 ने पुलिस थाना में इस आराजी में जबरन घुस कर तारबन्दी को तोड दिया तथा पत्थर व ऐंग्ल चुरा ले गये जिस पर मुकदमा दर्ज होकर चालान हुआ । पर्चा लगान सैटलमेन्ट ख0नं0 678/13 मूर्ति मन्दिर के नाम दर्ज है जिसका अपीलान्ट ने कोई विवाद नहीं है ।किन्तु प्रार्थना पत्र में ख0नं0 678/13 से बने ख0नं0 111 रकबा 1.35 हैक्टर को **पूर्व** शामिल किया गया है जो पहले से ही मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में दर्ज है ।तथा प्रार्थना पत्र में दर्ज विवादित आराजी जमाबन्दी सं0-2067 से 2070 में मूर्ति मन्दिर महादास जी की खातेदारी में दर्ज है । विवादित आराजी मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में दर्ज होने से अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला नहीं है और एक रेकार्डेड

खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबन्द नहीं किया जा सकता ।ख0नं0 678/12 के बाबत पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें अपीलान्ट के विरूद्ध चालान पेश किया गया है । अपीलान्ट ने मिसल हकीयत राज सवाई जयपुर सम्वत 1999 पेश की जिसमें ख0नं0 678/12 की खातेदारी गोविन्दा व महाबक्स पि0 भेमा के नाम दर्ज है ।विक्रय पत्र दिनांक 5-11-74 में गोविन्दराम पुत्र भेभाराम ने ख0नं0 678/12 रकाबा 3 बीघा 18 बिस्वा में से । बीघा पुख्ता का बैयान बिरबलराम को किया है । किन्तु वर्तमान राजस्व रेकार्ड मूर्ति मन्दिर के नाम दर्ज। अपीलान्ट के नाम कोई खातेदारी दर्ज नहीं है और मूर्तिमन्दिर की खातेदारी के बाबत प्रार्थना पत्र पेश करने का अपीलान्ट को हक को कोई अधिकार नहीं साथ ही अपीलान्ट का प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन भी साबित नहीं है ।अपीलान्ट का मुख्य तर्क यह रहा कि अदालत मातहत ने बहस सुने जाने के बाद एक माह में आदेश पारित नहीं किया जो उसे आदेश-21। नियम-। सीपीसी के अनुसार पारित कर देना चाहिये था। इसके समर्थन में आरआरडी 1981 पेज 52 पेश को है जिसमें स्पष्ट किया है कि बहस सुने जाने के बाद 30 दिन में निर्णय किया जाना चाहिये ।अदालत मातहत ने आदेशिका में लिखा है राजस्व अभियान के कारण निर्णय नहीं लिखाया गया है। अदालत मातहत ने आदेश नहीं लिखाये जाने का करण दर्ज किया है ।इस कारण प्रस्तुत नजीर के तथ्य भिन्न है तथा विवादित आराजी का अपीलान्ट खातेदार काश्तकार नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला नहीं होने से हम अदालत मातहत के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी नवलगढ का निर्णय दिनांक 27-6-2016 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 25.7.2018 को सुनाया गया ।

25/7/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर